भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 394
दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राजबोंग्शी और कामतापुरी भाषाओं की मान्यता और संवर्धन

394 श्री सामिक भट्टाचार्यः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजबोंग्शी और कामतापुरी भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया है और यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राजबोंग्शी और कामतापुरी भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण में योगदान के लिए कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, और क्या सरकार इन भाषाओं के विद्वानों के लिए विशिष्ट मान्यता प्रारंभ करने की योजना रखती है; और

(ग) भारत में राजबोंग्शी और कामतापुरी भाषाओं में पाठ्यक्रम, डिग्री या शोध कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची क्या है और क्या सरकार इन भाषाओं के लिए शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने की योजना बना रही है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): 'राजबोंग्शी' और 'कामतापुरी' सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 394, दिनांक 03.12.2025

सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है। चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

(ख): किसी विशेष भाषा के संवर्धन एवं संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों का भाषा-वार डेटा संधारित नहीं किया जाता।

(ग): विभिन्न भाषाओं में पाठ्यक्रम, डिग्री या शोध कार्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची इस मंत्रालय में संधारित नहीं की जाती। हालाँकि भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर की स्थापना की है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एनईपी, 2020, जहां भी संभव हो, शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा में होने का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का भी प्रावधान करती है और शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

*****